PUBLIC WORKS DEPARTMENT

(IRRIGATION BRANCH)

The 4th June, 1986

No. 27/8/86-IW(4).—The following draft of the rules further to amend the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 65 of the Haryana Canal and Drainage Act, 1974 and all other powers enabling him in this behalf is hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft of the rules will be taken into consideration by the Government on or after the expiry of period of fifteen days from the date of publication of this Notification in the Official Gazette, together with objections and suggestions, if any, which may be received by the Secretary to the Government, Haryana, Public Works Department, Irrigation Branch, Chandigarh from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the period so specified:-

DRAFT OF RULES

1. These rules may be called the Haryana Canal and Drainage (Amendment) Rules, 1986.

2. In the Haryana Canal and Drainage Rules, 1976 in the SCHEDULE OF WATER RATES, in Part II, for serial No. 1 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:—

"1. (i) Pise wall building: Re 1 per 100 cubic feet of earth moulded

(ii) Bricks/Tiles making: Re 1 per 1,000 bricks/tiles moulded subject to the maximum of Rs. 3,500 per season."

(Sd.) . . .,

Financial Commissioner and
Secretary to Government, Haryana,
Irrigation Department, Chandigarh.

लोक निर्माण विभाग

(सिंचाई शाखा)

दिनांक 4 जून, 1986

क्रमांक 27/8/86-आई०डब्ल्यू० (4).—हरियाणा नहर तथा जल विकास नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल हरियाणा नहर तथा जल विकास अधिनियम, 1974 की धारा 65 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, अत: इसके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के समाप्त होने पर या उसके बाद सरकार नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों और सुझावों सहित, यदि कोई हों जो सचिव, लोक निर्माण विभाग, सिचाई शाखा द्वारा चण्डीगढ़ नियमों के प्रारूप के सम्बन्ध में यथा विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी:—

प्रारूप नियम

1. ये नियम हरियाणा नहर तथा जल निकास (————संशोधन) नियम, 1986 कहे जा सकते है।

2. हरियाणा नहर तथा जल निकास नियम, 1976 में, जल दरों की अधिसूची में भाग II में, क्रम संख्या 1 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जायेंगी, अर्थात :—

(1) पाइस वाल निर्माण.—मिट्टी ढलाई का एक रुपया प्रति 100 घन फुट

(2) ईंट/टाईल विनिर्माण.—एक रुपया प्रति 1,000 ढलाई की हुई ईंटों/टाईलों पर, प्रत्येक ऋतु में अधिकतम 3,500 रुपये के अधीन रहते हुए"।

(हस्ताक्षर) . . .,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
सिंचाई एवं बिजली विभाग।